न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 30 / 2019 तारीख रजू 29.05.2019

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. राजेश कुमार घीया पुत्र श्री प्रेमचन्द घीया उम्र लगभग 44 वर्ष जाति महाजन (एबीओ व मालिक) फर्म–राजेश जनरल एण्ड किराना स्टोर, बैरवा मोहल्ला, ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर निवासी तेली मोहल्ला, ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान)।

..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii), 27(2)d & 31(2)

निर्णयः– दिनांक 24/7/23

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचंद जैन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 21.12.2020 को समय लगभग 02.00 पी.एम. पर राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर सुनील वर्मा निवासी सारसोप द्वारा की गई शिकायत की जांच हेतु राजेश जनरल एण्ड किराना स्टोर बैरवा मोहल्ला, ग्राम सारसोप, तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर पर श्री मोहम्मद अशलम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुँचा वहॉ पर निरीक्षण के समय मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम राजेश कुमार घीया पुत्र श्री प्रेमचन्द घीया, उम्र लगभग 44 वर्ष जाति महाजन बताया तथा स्वयं को दुकान का मालिक होना बताया। आवेदक ने राजेश कुमार घीया को अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। अभियुक्त अपनी दुकान पर घी, तेल, वनस्पति, मसाले, नमकीन, बिस्कुट व अन्य खाद्य सामग्री आमजन को विक्रय करता है। आवेदक ने अभियुक्त से दुकान का वर्ष 2020 का खाद्यपदार्थ लाइसेन्स / रजिस्ट्रेशन सर्फिफिकेट एवं स्वंय का फोटो पहचान पत्र दिखाने को कहा तो उसने स्वयं का फोटो पहचान पत्र आवेदक को दिखाया तथा अपनी दुकान का खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाद में कार्यालय में पेश करने को कहा व स्वयं का फोटो पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदक को दी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय दुकान के विक्रय परिसर में एक रैक में आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) **400 ग्राम पैक** के 10 पैकिटों का निरीक्षण करने पर उनमें मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व फर्म मालिक राजेश कुमार घीया से उक्त खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) के पैकिटों में से शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना देने हेतु कहा तथा

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता को देकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान के विक्रय परिसर में एक रैक में रखी हुयी खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) के पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्वता व लेबल की जॉच हेतु नमूना लेने बाबत खरीदे जिसकी कीमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 200/– रूपये अक्षरे दो सौ रूपये नगद देकर खरीद की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता व गवाहन के हस्ताक्षर करने पर आवेदक ने स्वंय हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) के चारो पैकिटों को चार साफ, सूखे व खाली प्लास्टिक के डिब्बों में अलग–अलग रखकर चारो डिब्बों के ढक्कन अच्छी तरह से टाइट बन्द कर, चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान दिनांक खाद्य वस्तु आदि लिखकर स्वंय के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग चिपकाकर पैकिटों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर पेपर के सिरो को गोंद से चिपकाकर डिब्बों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर **H–1967** गोंद से नियमानुसार प्रत्येक पैकिट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपडी से सील मोहर करके चारों पैकिटों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया, दुकान पर मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक राजेश कुमार धीया से उक्त खाद्यवस्तु के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने उस समय बिल नहीं होना बताया बाद में पेश करने को कहा। मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसको पढकर सुनकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की जिस पर उस सील इम्प्रशेन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बंद किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा मोहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 22.12.2020 को मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर (राजस्थान) के यहॉ जमा करवाये जिनकी रसीद प्राप्त की गयी।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की बाकी बचे दो सील बन्द पैकिट (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लेट कर सील मोहर कर तथा नमूने के शेष एक सील बन्द पैकिट (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर दिनांक 21.12.2020 को स्वंय के द्वारा अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2021/80 दिनांक 12.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2487/एक्ट/2020/21 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) **का नमूना मिथ्याछाप**

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति॰ जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

(Misbrandard Food U/S 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) and 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 333 दिनांक 17.02.2021 व 498 दिनांक 04.03.2021 के द्वारा फर्म– राजेश जनरल एण्ड किराना स्टोर, बैरवा मोहल्ला, ग्राम सारसोप के मालिक राजेश कुमार घीया को माल खरीद बिल एवं फर्म के अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत पत्र लिखे।

फर्म–राजेश जनरल एण्ड किराना स्टोर, बैरवा मोहल्ला, ग्राम सारसोप के मालिक राजेश कुमार घीया ने अपने पत्र दिनांक 01.03.2021 के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर अपने आधार कार्ड एवं फर्म के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जोकि दिनांक 28.12.2020 को जारी किया गया था कि एक–एक स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध करायी, किन्तु कोई माल खरीद बिल उपलब्ध नहीं करवाया गया।

उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने **मिथ्याछाप (Misbrandard Food) प्रकृति की** खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) **का** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। फर्म मालिक द्वारा उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराई गई जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन है तथा खाद्य कारोबारकर्ता ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्य कारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरूद्व अधिकत्तम शास्ति राशि अधिरोपित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता ने **मिथ्याछाप (Misbrandard Food) प्रकृति की** खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) **का** विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(।।) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। साथ ही यह भी तर्क दिया कि आवेदक द्वारा फर्म मालिक को उक्त नमूने के संबंध में बार बार पत्र लिखने के उपरान्त भी कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराई गई जो कि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन है तथा खाद्य कारोबारकर्ता ने बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ही खाद्य कारोबार कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 31(2) का भी उल्लंघन किया है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त द्वारा जरिये अधिवक्ता बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्रार्थी की दुकान से खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा मिसब्राण्ड प्रकृति

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested

एवं मानक स्तर का माना गया है प्रार्थी को नियमों की जानकारी नहीं थी। नियमों की जानकारी ना होने की वजह से ही प्रार्थी फर्म का रजिस्ट्रेशन लाईसेन्स आवेदक को उपलब्ध नहीं करा पाया था। भविष्य दोबारा उक्त गलती को नहीं दोहराया जावेंगा। प्रार्थी को न्यूनत्तम शास्ति राशि लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया। अन्त में प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2487/एक्ट/2020/21 दिनांक 04.01.2021 के अनुसार वास्ते जॉच खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) **का नमूना मिथ्याछाप (Misbrandard Food U/S 3(1)(zf)(A)(i)(a), 3(1)(zf)(B)(ii) and 3(1)(zf)(C)(i) of FSSA 2006) प्रकृति का पाया गया।** अभियुक्त द्वारा कोई माल खरीद बिल/इन्वॉइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराकर एवं आवेदक के सेम्पल भरने की दिनांक को बिना खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन के ही खाद्य कारोबार कर क्रमशः एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं 31(2) का उल्लंघन किया है। अभियुक्त द्वारा बहस में अपना जुर्म स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 की धारा 52 एवं धारा 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को Misbrandard (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य वस्तु **नमकीन** (Zam-Zam Royal brand) का निर्माण व विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **10000/--रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) एवं 31(2) का उल्लंघन करने पर धारा 58 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **25000/--रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये)** की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्तियां राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 12:10:34 IST
Reason: SelfAttested